भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3324

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

2 चैत्र, 1944 (शक)

आधार बायोमेट्रिक की विफलता

3324. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया में बार-बार होने वाली त्रुटियों के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के बार में जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आधार में 12 प्रतिशत प्रमाणीकरण विफलता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए है; जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है; और

(ग) क्या पैन को आधार के साथ जोड़ने और मतदाता कार्ड के साथ संबंधित सीआर अद्धतन करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों का मामला वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : जी,हां। बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचान प्रमाणीकरण की विफलता विभिन्न कारकों जैसे कि घिसे हुये फिंगर प्रिंट मिनुटिया के कारण बायोमेट्रिक का गलत ढंग से कैप्चर होना, डिवाइस पर उंगली का ठीक से न होना, नेटवर्क की विफलता से संबंधित त्रुटियां आदि को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

(ख): बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचान प्रमाणीकरण की सफलता दर बढ़ाने के लिए यूआईडीएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिये प्रमाणीकरण संचालकों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान करता है और वृद्ध व्यक्तियों के लिए आइरिस उपकरणों के माध्यम से पहचान प्रमाणीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और जिनकी उंगलियों के निशान खराब हो गए हैं।

(ग): दिनांक 17.09.2021 को वित्त मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना एसओ 3814 (ई) के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139कक (2) के तहत आधार की सूचना के लिए विनिर्दिष्ट तिथि को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

साथ ही, दिनांक 30.12.2021 को कानून और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा अधिसूचित चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार अधिसूचना की धारा 23(6) में प्रावधान किया गया है कि-

"(6) निर्वाचक-सूची *में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को ऐसे पर्याप्त कारण से आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचित करने में असमर्थता के लिए हटाया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है:*

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति विशेष को यथा विनिर्धारित ऐसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।"

******